

उच्च शिक्षा में शब्दावली का महत्व और उसके प्रचार में मीडिया की भूमिका

डॉ जे के एन नाथन,
सहायक राजभाषा, राजभाषा विभाग,
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र,
विशाखपट्टणम-530032,
मोबाईल-8008116262.

शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की 'शिक्ष्' धातु में 'अ' प्रत्यय लगाने से बना है। 'शिक्षा' का अर्थ है सीखना और सिखाना अर्थात् सीखने-सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा एक व्यापक माध्यम है, जो छात्रों में कुछ सीख सकने के सभी अनुभवों का विकास करता है। मानव शिक्षा द्वारा समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध करता है। इस शिक्षा के उद्देश्य व शिक्षण विधियाँ निश्चित व योजनाबद्ध होते हैं। उच्च शिक्षा का अर्थ है कि कोई विशेष विषय या शूक्ष्म शिक्षा जो प्राथमिक, माध्यमिक व इन्टर के बाद पढ़ा जाता है। यह शिक्षा ऐच्छिक होता है यह शिक्षा के उस स्तर का नाम है जो महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक-विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के द्वारा दी जाती है। इसके अन्तर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि आते हैं। भारत का उच्च शिक्षा तंत्र अमेरिका, चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षातंत्र है।

शब्दावली :

हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के समय ज्ञान की विभिन्न विधाओं में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व था। इसलिए स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने भारतीय भाषाओं की शब्दावली विकसित करने का बीड़ा उठाया। लेकिन उन शब्दावलियों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 351 के अधीन हिंदी का विकास एवं समृद्धि की अनेक योजनाएँ आरंभ कीं। राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश के अनुसार सभी विषयों की शब्दावली के हिंदी पर्यायों के निर्माण का उत्तरदायित्व वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपा गया है। परिणामस्वरूप 1 अक्टूबर 1961 को स्थाई आयोग के रूप में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी) की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश के अधीन की गई। इस आयोग ने सभी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को हिंदी में परिभाषित कर एवं नए शब्दों का विकास किया। विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला अब ऐसा कोई अंग्रेजी विषय नहीं बचा है जिसकी हिन्दी पर्याय स्थिर न हो गए हों। आयोग की अखिल भारतीय शब्दावली योजना के अंतर्गत कई शब्दावलियाँ प्रकाशित की जा चुकी हैं जिसमें बीस हजार ऐसे शब्दों को विषयवार संकलित किया गया है। यह शब्दावलियाँ अपने आप में आयोग के अनूठे प्रयास हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी सभी विश्वविद्यालयों आदि को यह निर्देश दिया है कि केवल शब्दावली आयोग की

शब्दावलियां ही प्रयोग किया जाए। शब्दावली के प्रयोग की एकरूपता की दृष्टि से यह अनिवार्य भी है। तत्पश्चात आयोग ने परिभाषिक शब्दावली के निर्माण की योजना भी शुरू की। पारिभाषिक शब्द यानि जिन शब्दों की परिभाषा सुनिश्चित तथा स्पष्ट होता है उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। किंतु परिभाषा-कोशों में अंग्रेजी तकनीकी शब्द, उसका हिंदी पर्याय और उसके बाद तीन-चार पंक्तियों में हिंदी में उसकी परिभाषा दी जाती है। जिससे छात्र, अध्यापक अथवा अनुसंधानकर्ता की बहुत सहायता मिलती है। शब्दावली आयोग ने जात तक ज्ञान-विज्ञान की शाखाओं के लिए लगभग आठ लाख शब्द गढ़े हैं। अब तक विधि, मीडिया, प्रशासनिक, अन्तरिक्ष, कृषि, पशु-चिकित्सा कम्प्यूटर-विज्ञान, धातु-कर्म, ऊर्जा, खनन, इंजीनियरी, मुद्रण, रसायन, इलेक्ट्रानिकी, वानिकी, लोक-प्रशासन, अर्थ-शास्त्र, डाक-तार, रेलवे, गृह-विज्ञान आदि विषयों के शब्दावली प्रकाशित एवं प्रचलित हो चुकी हैं। आयोग ने इसके अतिरिक्त लगभग 56 परिभाषा कोश प्रकाशित किए हैं। जिसमें विज्ञान के नवीनतम विषय तरल यांत्रिकी, मानचित्र-विज्ञान, शैल विज्ञान, पादप आनुवंशिकी, कृषि-कीट विज्ञान आदि शामिल हैं।

शब्दावली का महत्व:

इस वैज्ञानिक एवं वैश्वीकरण के दौर में सभी विद्यार्थी पढाई में अब्बल आना चाहता है इसके लिए वे काफी मेहनत भी करते हैं फिर भी सफलता प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है, क्योंकि उच्च शिक्षा का माध्यम अधिकतर अंग्रेजी होता है और अंग्रेजी माध्यम के पाठ्यपुस्तकों में अनेक कठिन शब्द होते हैं। ऐसे शब्दों के अर्थ से छात्र अंजान रहते हैं। इन शब्दों को समझने में शाब्दावलियां उनकी मदद करती हैं। किसी भी विषय को अच्छी तरह समझने के लिए संबंधित पारिभाषिक शब्दावली का विशेष महत्व होता है। क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली के बिना किसी विशिष्ट विषय को समझना संभव नहीं है। केवल शब्द ही नहीं कुछ गद्यांश व व्याकरण की जटिल संरचनाओं को समझने के लिए भी छात्रों को इन शब्दावलियों से मदद मिलती है। इन शब्दावलियों से पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठों को समझने और नई शब्दावली सीखने में छात्रों को मदद मिलती है। यही नहीं छात्र पाठ के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट शब्द भी सीख सकते हैं। छात्र जो नए शब्द सीखते हैं उन्हें याद करने की आवश्यकता है। इससे छात्रों की शब्दावली विकसित होती है। छात्रों को सिर्फ शब्दों को सीखना उनके अर्थ जानने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए है बल्कि उन्हें उनका उपयोग करने में भी सक्षम होना चाहिए। इससे शब्दों को बेहतर ढंग से याद रखने में उन्हें मदद मिलेगी। अतः इससे छात्रों का ज्ञान व एकाग्रता बढ़ती है। छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव रहता है और वे अधिक आत्म निर्भर बन कर सफलता की ऊंचाईयों को पा सकते हैं।

शब्दावली के प्रचार में मीडिया की भूमिका :

मीडिया अर्थात् माध्यम या साधन। वर्तमान में जनसंपर्क या संचार क्षेत्र हेतु प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। आधुनिक युग में मीडिया का सामान्य अर्थ पत्रकारिता, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि है।

पत्रकारिता:

हम सब जानते ही हैं कि भारतीय पत्रकारिता का जन्म बंगाल में हुई। वर्ष 1780 में ही पहले समाचार पत्र की स्थापना हुई थी। 1826 को कलकत्ता से हवेली नंबर 37 आमड़तल्ला गली, कोलू टोला नामक स्थान से पंडित युगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकलने वाले 'उदंत मार्तण्ड' को हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र माना जाता है। भारतेन्दु का 'कविवचन सुधा' पत्र 1867 में पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया। परंतु नई भाषाशैली का प्रवर्तन 1873 में 'हरिश्चंद्र मैगजीन' से ही हुआ। 1895 में 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका' का प्रकाशन आरंभ हुआ। इस पत्रिका से गंभीर साहित्य समीक्षा आरंभ हुई। उन्नीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक तक आते-आते 'सरस्वती' व 'सुदर्शन' में प्रकाशित देशभक्ति के लेखों ने देश के प्रति प्रेम जागृत किया। 1913 में कानपुर से 'प्रताप' का प्रकाशन हुआ, उसमें छपे हुये शब्दों से देश में स्वतंत्रता की ललक की लहर दौड़ा दी थी। देश को आजाद कराने में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उस समय की पत्रकारिता आज से बिल्कुल अलग थी, उस समय केवल समाचारपत्र और पत्रिकाएं ही थी जो देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागाती थी। इसमें प्रकाशित एक टिप्पणी पढ़कर भारत के लोगों के दिलों में आजादी की भावना जाग उठी। 'सरोज', 'विशाल भारत', 'भारत मित्र', स्वतंत्र ऐसे हिंदी पत्र थे जो लोगों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। सत्याग्रह व असहयोग आन्दोलन की कामयाबी में समाचार पत्रों की अहम भूमिका रही। कई पत्रों ने स्वाधीनता आन्दोलन में प्रवक्ता की भूमिका निभायी। लेकिन पत्रकारिता के विकास की नींव उन्नीसवीं सदी में पड़ी। राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद ने 1946 में जब 'बनारस समाचार' का प्रकाशन आरंभ किया तो उन्होंने संस्कृतनिष्ठ भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया। उसी समय देवकीनंदन खत्री आम बोलचाल की भाषा में लोकप्रसिद्ध रचनाएं छप रहे थे। भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने 1868 में 'कविवचन सुधा' नामक पत्रिका की शुरुआत की तो उसमें सरल खड़ी बोली को महत्त्व दिया। भाषा के इस रूप का सर्वत्र स्वागत हुआ। भूमंडलीकरण के बाद आयी नयी तकनीक, बेहतर सड़क और यातायात के संसाधनों की सुलभता की वजह से छोटे शहरों, कस्बों से भी नगर संस्करण का छपना आसान हो गया। इससे अखबारों के पाठकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है और पत्रकारिता ने अभूतपूर्व सफलता अर्जित की। आज सामान्य ज्ञान, फ़िल्म, फ़ैशन, स्वास्थ्य, साहित्य, पर्यटन, विज्ञान कथा-कहानियां जैसे विषयों पर बहुत अच्छी पत्रिकाएं निकलती हैं और खूब पढ़ी जाती हैं। बच्चों और महिलाओं की पत्रिकाएं विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। ज़ाहिर है कि ये सभी पत्र-पत्रिकाएं हर भाषा को गांव-गांव तक लोकप्रिय बना रही हैं। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा समाचार पत्र का बाजार है। यहां प्रतिदिन समाचार पत्र के 10 करोड़ प्रतियाँ बिकती हैं। भारत में 70,000 से अधिक समाचार पत्र हैं। सभी पत्रिकाओं में हर दिन नित नई शब्दों का प्रकाशन होता है, उन्हें पढ़कर पाठक शब्दों के प्रति अपनी जानकारी बढ़ाते हैं।

रेडियो :

1930 में औपनिवेशिक सरकार ने रेडियों ब्रॉडकास्टिंग को अपने हाथ में लिया और 1936 में उसका नामकरण 'आल इण्डिया रेडियो' किया तब से लेकर आज तक यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को सर्वस्वीकार्य बनाने में रेडियो की उल्लेखनीय भूमिका रही है। आकाशवाणी ने

समाचार, विचार, संगीत, मनोरंजन आदि सभी स्तरों पर अपने प्रसारण के माध्यम से देश के कोने-कोने तक पहुंचा। हिंदी फ़िल्मी गीतों की लोकप्रियता भारत की सीमाओं को पार कर रूस, चीन और यूरोप तक जा पहुंची। हिंदी के शब्दों को देशभर के लोगों की ज़बान पर ला दिया। सभी शब्दों को जन-जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने किया। अब वही काम वर्तमान में निजी एफएम चैनल कर रहे हैं। एफएम चैनल वाद-संवाद और हास्य- प्रहसन के ज़रिये भाषा का प्रसार कर रहे हैं। मनोरंजन के अलावा आकाशवाणी के समाचार, प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं का आंखों देखा हाल तथा किसानों, मजदूरों और बाल व महिला कार्यक्रमों ने शब्दावली की स्वीकार्यता बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज भी दे रहे हैं।

टी वी :

मीडिया का सबसे मुखर, प्रभावशाली और आकर्षक माध्यम टेलीविज़न माना जाता है। क्योंकि टेलीविज़न श्रव्य के साथ-साथ दृश्य भी दिखाता है इसलिए यह अधिक रोचक है। वर्ष 1980 और 1990 के दशक में दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम और समाचार प्रसारण करने के कारण हिंदी, अंग्रेजी के कई शब्द लोगों तक पहुंचे और लोग उन्हें सुननेलगे, समझनेलगे, प्रयोग करने लगे और काफी कम समय में ही हिंदी काफी जनप्रिय बनी। वर्ष 1990 के दशक में मनोरंजन और समाचार के निजी उपग्रह चैनलों के पदार्पण के उपरांत यह प्रक्रिया और तेज हो गई। मनोरंजन कार्यक्रमों में फ़िल्मों गीतों के प्रसारण से हिंदी भाषा को देश के कोने-कोने तक पहुंची, टेलीविज़न पर प्रसारित धारावाहिक ने दर्शकों में अपना विशेष स्थान बना लिया। सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, पारिवारिक तथा धार्मिक विषयों को लेकर बनाए गए हिंदी धारावाहिक घर-घर में देखे जाने लगे, रामायण, महाभारत हमलोग, भारत एक खोज जैसे धारावाहिक न केवल मनोरंजन दिये बल्कि हिंदी प्रसार के वाहक बने। समूचे देश में टेलीविज़न कार्यक्रमों की लोकप्रियता की वजह से देश के अहिंदी भाषी लोग हिंदी समझने और बोलने लगे। टीवी पहले केबिल टीवी बना फिर बाद में आयी डीटीएच प्रौद्योगिकी जिसने मनोरंजन और समाचार प्रसारण की दुनिया को पूरी तरह से बदल ही डाला। उपग्रहीय टीवी चैनलों में लोकप्रिय धारावाहिकों का प्रसारण हुआ। आज अनेक अहिंदी भाषी राज्यों के प्रतिभागी हिंदी के लाइव-शो में भाग लेकर पुरस्कार जीत रहे हैं। टेलीविज़न के कार्यक्रमों ने भौगोलिक, भाषाई तथा सांस्कृतिक सीमाएं तोड़ दीं। समाचार भी सबसे अधिक दर्शकों द्वारा देखे-सुने जाते हैं। इस समय देश में चैनलों की संख्या लगभग 350 हैं जिनमें से 195 न्यूज चैनल हैं। यह सारे चैनल पूर्ण रूप से न्यूज प्रादेशिक भाषा में ही प्रसारण करते हैं और इस प्रक्रिया में उच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस तरह आज आम जनता भी न्यूज से संबंधित शब्दावली की जानकारी बखूबी रखते हैं।

सिनेमा :

सिनेमा समाज को मनोरंजन व सही राह दिखाने का सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि इसका असर सीधे मनुष्य के दिल पर पड़ता है। भारत में सिनेमा की शुरुवात वर्ष 1913 में हुई थी और पहली बोलती फिल्म 'आलमआरा' का निर्माण वर्ष 1931 में किया गया था, इसके बाद सिनेमा उद्योग का

धीरे-धीरे से विकास होने लगा। बढ़ती हुई तकनीकी और वैश्वीकरण ने भारतीय सिनेमा के चेहरे को बदल ही डाला। फलस्वरूप आज पूरे भारत में अनेक भाषाओं में सिनेमा का निर्माण हो रहा है। उनमें धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, देशप्रेम, दहेज, बाल विवाह, रिश्त, भ्रष्टाचार, किसानों की दुर्दशा, जातिवाद, बालमजदूरी, भारतीय व विदेशी संस्कृति, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाली आदि से सम्बंधित सिनेमा का निर्माण हुआ और आज भी हो रहे हैं इन्हें लोगों ने काफी पसंद भी किया। उपर्युक्त सभी विषयों से संबंधित फिल्मों में तरह-तरह के शब्द, वाक्य, मुहावरों का देश-विदेश में प्रचुर मात्रा में प्रचार-प्रसार हुआ, जिसका श्रेय सिर्फ भारतीय सिनेमा को जाता है। इन फिल्मों के माध्यम से निकले कई संवादों ने बच्चों, युवाओं व बड़ों के शब्दावली को अधिक मजबूत किया। आज के आधुनिक जमाने में सिनेमा का हमारे जीवन पर काफी प्रभाव है। एक सौ वर्षों की लम्बी यात्रा में हिन्दी सिनेमा ने न केवल बेशुमार कला प्रतिभाएं दीं बल्कि भारतीय समाज और चरित्र को गढ़ने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। खास कर के हिंदी फिल्मों ने भी हिंदी को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है। अनेकता में एकता का जीवंत उदाहरण भारतीय फिल्म हैं। अतः सिनेमा ने भारतीय समाज में भाषा व चेतना जागृत करने के लिए सौ प्रतिशत प्रोत्साहन दिया है।

सोशल मीडिया या न्यू मीडिया

सोशल मीडिया यानि व्हाट्स एप, यू ट्यूब फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदि ऐप हैं जो इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर, लैप टॉप, सेलफोन, टैब व नोट पैड ऑपरेट किए जाते हैं। इन ऐपों को लोग अधिकतर स्मार्ट फोन पर उपयोग करते हैं। इंटरनेट भारत में वर्ष 1995 में शुरू हुई। आज बड़ी संख्या में लोगों के निजी और व्यावसायिक जीवन का एक अहम हिस्सा नेट के जरिये संसाधित होने लगा है। आज मोबाइल की पहुँच ने गाँव-गाँव के कोने-कोने में संवाद और संपर्क को आसान बना दिया है। इस वजह से बाजार में आ रहे नित नवीन मोबाइल उपकरण हर सुविधा अपनी भाषा में देने के लिए तैयार है। आज स्मार्टफोन के रूप में हर हाथ में यह तकनीकी डिवाइस मौजूद है। सभी आपरेटिंग सिस्टमों में संदेश भेजना, सामग्री को पढ़ना, सुनना या देखना आसान है। फेस बुक में रखे संवाद बहु-संचार संवाद का रूप धारण कर लेते हैं जिसमें पाठक तुरंत अपनी टिप्पणी न केवल लेखक से साझा कर सकते हैं, बल्कि अन्य लोग भी विषय-वस्तु पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। यह टिप्पणियां एक से अधिक भी हो सकती है। इन तमाम पहलुओं ने मिल कर मीडिया का दायरा इतना बड़ा बना दिया कि उसके चपेट में सार्वजनिक जीवन के अधिकतर आयाम आ गये हैं। आज नयी मीडिया प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। आज ऑनलाइन समाचार पढ़ना मामोली सी बात है। आज

न्यू मीडिया के नई तकनीक से परिचय होना हर किसी के लिए अति आवश्यक हो गया है। अतः सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है, जो इंटरनेट के माध्यम से सारे संसार को जोड़े रखता है। द्रुत गति से सूचनाओं के आदान-प्रदान करने के कारण काफी लोकप्रिय बना है। अब सैकड़ों पत्र-पत्रिकाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आज लोगों का कहना है कि इंटरनेट के कारण भाषा विकृत हो रही

है और इसका मूल स्वरूप नष्ट हो रहा है। किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा एक बहती नदी है और जब उसका अधिक इस्तेमाल होगा तो उसके स्वरूप में कुछ-न-कुछ बदलाव अवश्य आएगा। आज एक भाषा में दूसरी भाषा के कई शब्द समावेश हो रहे हैं, वास्तव में यह बदलाव विकार नहीं संस्कार है। हमें स्वीकार करना है। इंटरनेट और मोबाइल ने हिंदी को काफी विस्तार किया है क्योंकि हिंदी में संप्रेषण की ताकत है। इंटरनेट पर 15 से ज्यादा हिंदी सर्च इंजन मौजूद हैं, सोशल साइट में भी हिंदी छाई हुई है। आज 21 फीसदी भारतीय हिंदी में इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। भारतीय युवाओं के स्मार्टफोन में औसतन 32 एप होते हैं, जिसमें 8-9 हिंदी के होते हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया में पर हिंदी छा सी गई है।

मीडिया की वजह से आज हर भाषा के शब्दों को आसानी से समझ पा रहे हैं। खासकर भारत के अधिकतम भूभाग में हिंदी समझी जाती है। भारत ही नहीं आज दुनिया की बड़ी आबादी हिंदी बोल सकती है। जनसंचार के सभी माध्यमों में हिन्दी ने मजबूत पकड़ बना ली है। चाहे वह समाचार पत्र हो, रेडियो हो, दूरदर्शन हो, सिनेमा हो, या विज्ञापन हो सर्वत्र हिन्दी छा गई है। हिन्दी विश्वभाषा बनने में सोशल मीडिया की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हिंदी अभिव्यक्ति का सब से सशक्त माध्यम बन गई है। संचार माध्यमों ने हिंदी के वैश्विक रूप को गढ़ने में पर्याप्त योगदान दिया है। डिजिटल दुनिया में हिंदी की मांग अंग्रेजी की तुलना में पांच गुना अधिक है। आज हिंदी नई प्रौद्योगिकी, वैश्विक विपणन तंत्र और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की भाषा बन रही है। आज मीडिया में जितने विज्ञापन निकल रहे हैं उनमें हिंदी शब्द व मुहावरों का खुलकर प्रयोग किया जा रहा है। यदि मीडिया की भाषा परिनिष्ठित होती तो क्या इतने अधिक अन्य भाषा के शब्द टीवी, रेडियो या समाचार पत्रों में सुन पाते? भाषा की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए उसमें स्वच्छंदता लाना आवश्यक है। यह ऐतिहासिक सत्य है कि जब भी कोई भाषा पुराने तटबंधो को तोड़कर नये क्षेत्र में प्रवेश करती है तो शुद्धतावादी तत्व उससे चिंतित हो जाते हैं। सच तो यह है कि हर भाषा इस समय स्वीकार्यता के राजमार्ग पर सरपट दौड़ रही है इसे रोक पाना किसी के बस में नहीं है। मीडिया इस दौड़ को और गतिशील बना रहा है। आज का सच यह है कि जिस तरह भाषा अपने प्रसार के लिए मीडिया की जरूरत है उसी तरह मीडिया को अपने विस्तार के लिए भाषाओं की आवश्यकता है। मीडिया में अगर संप्रेषणता का गुण फीका हो जाये तो समाज के लिए ये उपयोगी नहीं रहता, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कुल मिलाकर शब्दावली के प्रचार-प्रसार में मीडिया का पात्र काफी महत्वपूर्ण है।